न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – मुकेश बारेठ, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 58/2018
अन्तर्गत धारा 88, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. इन्द्राज पुत्र श्री बनवारी लाल,जाति जाट, आयु 45 वर्ष निवारी चक 4 जी छोटी, सहारणांवाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. दिनेश पुत्र श्री इन्द्राज, जाति जाट, आयु 23 वर्ष, निवासी चक 4 जी छोटी, सहारणांवाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
3. प्रवीण पुत्र श्री इन्द्राज, जाति जाट, आयु 21 वर्ष, निवासी चक 4 जी छोटी, सहारणांवाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर। ....वादीगण

ब ना म

1. गोमती देवी पत्नि श्री बनवारी लाल, जाति जाट, निवासी चक 4 जी छोटी सहारणांवाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. सावित्री देवी पुत्री श्री बनवारी लाल पत्नी श्री हेतराम, जाति जाट निवासी वार्ड नं. 9 चक 16 ए.एस. कूपली तह श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. कलावती पुत्री श्री बनवारी लाल पत्नी श्री रामस्वरूप, जाति जाट निवासी वार्ड नं. 8 ग्राम पंचायत संघर जिला श्रीगंगानगर।
4. विमला देवी पुत्री श्री बनवारी लाल, जाति जाट, निवासी रामांवाली चक 55 आर.बी.(ए) तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. रेशमा देवी पुत्री श्री बनवारी लाल पत्नी श्री राजपाल, जाति जाट निवासी चक 55 आर.बी.(ए) तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. ज्योति पोटलिया पुत्री स्व0 श्रीमती राममूर्ति पुत्री श्री बनवारी लाल आयु 20 वर्ष जाति जाट निवासी चक 20 एल.एन.पी. तह0 व जिला श्रीगांगनगर।
7. किरण पुत्री स्व0 श्रीमती राममूर्ति पुत्री श्री बनवारी लाल आयु 18 वर्ष जाति जाट निवासी चक 20 एल.एन.पी. तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर।
9. बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा साहूवाला जिला श्रीगंगानगर। ... प्रतिवादीगण.

उपस्थित– श्री प्रदीप सिहाग (वादीगण)
श्री अनित जोशी (प्रतिवादी–1 ता 7)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–8)

दिनांक 19 दिसम्बर 2019

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार चक 4 जी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 75/51 नया/पुराना की कुल 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में वादीगण की माता एवं दादी प्रतिवादी संख्या 1 गोमती देवी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। गोमती देवी उक्त कृषि भूमि की एकल स्वामी है तथा इस कृषि भूमि के अतिरिक्त चक 10 बी.एन.डब्ल्यू. तह0 सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/23 के मुरब्बा नम्बर 49 में कुल 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि भी गोमती देवी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उपरोक्त दोनो चको की जमाबन्यिों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान में अपने पुत्र वादी संख्या 1 के साथ निवास कर रही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 4 जी छोटी की कृषि भूमि जो कि कुल 6.325 हेक्टेयर है को प्रारम्भ से हीं अपने पुत्र वादी संख्या 1 को कब्जा काश्त हेतु प्रदान कर रखी है जिस पर वर्तमान में वादीगण काश्त कर रहे है उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति से शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 4 जी छोटी की

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

चाहते है। महिला के नाम दर्ज सम्पत्ति उसकी स्वयं अर्जित होती है अतः यह भूमि पंजीकृत दस्तावेज से ही हस्तारित करवायी जा सकती है। राजस्व हानि का प्रकरण है अतः दावा खारिज फरमाया जावें।

वादीगण 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 11.12.2019 प्रस्तुत किया। वादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंहाग व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री अनित जोशी द्वारा गई। इसके अतिरिक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया। राजीनामा के तथ्यो के अनुसार चक 4 जी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 75/51 नया/पुराना के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार प्रथम पक्षकारान/वादीगण को घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे तो द्वितीय पक्षकारान/प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। एवं न ही भविष्य में द्वितीय पक्षकारान/प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई एतराज प्रस्तुत किया जायेगा। प्रथम पक्षकारान एवं द्वितीय पक्षकारान आपसी सहमति से उक्त राजीनामा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। उक्त राजीनामा से दोनो पक्षकार सहमत है।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझोता को अधिक महत्व दिया गया है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 11 दिसम्बर 2019 के अनुसार वादीगण इन्द्राज पुत्र श्री बनवारी लाल, दिनेश पुत्र श्री इन्द्राज,प्रवीण पुत्र श्री इन्द्राज को चक 4 जी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 75/51 नया/पुराना के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। परन्तु समस्त भूमि भार मुक्त होने के स्थिति पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कि जावें। यथा डिक्री जारी हो।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को जारी किया गया।

sd/-

मुकेश बारैठ
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर